Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

देवीलाल बनाम **सरकार**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973**

किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना पत्र (457 CrPC)** नं0 **033** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी वाहन स्वामी देवीलाल पिता भैरूलाल सालवी निवासी लसाडिया खुर्द तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ की और से पुलिस थाना राशमी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 122/2024 दिनांक 16.05.2024 अपराध अन्तर्गत धारा 5, 6, 8 व 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GC 7997** को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 457–451 जा0फौ0 के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना राशमी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ से टिप्पणी/कमेन्ट्स हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना राशमी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/02 दिनांक 01.01.2025 से टिप्पणी/अभिमत प्रेषित कर अवगत कराया गया कि वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया। थानाधिकारी राशमी से प्राप्त टिप्पणी/अभिमत शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। न्यायालय हाजा में पुलिस थाना राशमी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 122/2024 दिनांक 16.05.2024 अपराध अन्तर्गत धारा 5, 6, 8 व 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 के तहत अन्तर्गत धारा धारा 6'क' राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 के तहत लम्बित है जिसके तहत प्रकरण संख्या 002/2025(गौ–वंश) दर्ज होकर विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में जब्तशुदा वाहन का निस्तारण मूल प्रकरण में ही किया जाना है ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण को मूल प्रकरण के साथ ही सुना जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण को मूल प्रकरण संख्या 002/2025(गौ–वंश) के साथ सुनवाई हेतु रखा गया। प्रकरण संख्या 002/2025(गौ–वंश) में पुलिस थाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 122/2024 दिनांक 16.05.2024 अपराध अन्तर्गत धारा 5, 6, 8 व 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन के संबंध में प्रार्थी देवीलाल पिता भैरूलाल जाति सालवी निवासी लसाडिया खुर्द तहसील व	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	थाना राशमी जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 457–451 जा0फौ0 जिसके 033/2024 (रे.वि.) को खारीज किया गया है एवं प्रकरण में जब्तशुदा वाहन जिसके रजिस्ट्रेशन **RJ 09 GC 7997** को राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाकर जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बाद गुजरने मियाद अवधि के जब्तशुदा वाहन थानाधिकारी पुलिस थाना राशमी से वाहन **RJ 09 GC 7997** को प्राप्त कर नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जरिये निलामी के निस्तारण कर प्राप्त आय को राजकोष में जमा कराये जाने बाबत् आदेश दिये गये है, अतः प्रकरण संख्या 002/2025(गौ–वंश) अनवानी सरकार बनाम सुभान वगैराह निर्णय दिनांक 30.04.2025 अनुसार प्रार्थी प्रार्थना–पत्र खारीज इन्द्राज किया जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही मूल प्रकरण संख्या 002/2025 (गौ–वंश) अनवानी सरकार बनाम सुभान वगैराह निर्णय दिनांक 30.04.2025 के साथ हम किता रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -S/d- (आलोक रंजन) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ 30.04.2025 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	